आवेदन पत्र संख्याः E- ....

उत्तर प्रदेश राज्य में एक, दो एवं तीन वर्षीय डिप्लोमा स्तरीय पूर्व स्थापित संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, प्रवेश क्षमता में परिवर्तन तथा प्रदत्त अनुमोदन को यथावत् बढ़ाये जाने हेतु आवेदन–पत्र के साथ–साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों की चेक लिस्ट

कृपया निर्धारित आवेदन–पत्र निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर को प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिय जाय कि उसके साथ निम्नलिखित अनुलग्नक संलग्न कर दिये गये हैंः–

अनुलग्नक	विवरण
I	**किसी वास्तुकार द्वारा विधिवत् तैयार किया गया तथा संबंधित सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वास्तुशिल्पीय रेखाचित्र** 1– परिसर की सम्पूर्ण भूमि के लिए मास्टर प्लान, जिसमें भू–उपयोग, संचरण, भू–दृश्य निर्माण, अवसंरचना आदि दर्शायी गयी हो (पैमाना–1:1000 / 1:500)। 2– विद्यमान शैक्षिक भवनों का फ्लोर प्लान, खण्ड एवं सीढ़ियां, क्षेत्रफल के ब्योरे सहित (पैमाना–1:100)। 3– परिसर के माडल के फोटोग्राफ, परिसर के विकास की वर्तमान स्थिति, कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, कक्षा–कक्षों आदि के वर्तमान भवन तथा आन्तरिक साज–सज्जा। 4– विद्यमान प्रवेश क्षमता के आधार पर शैक्षिक सत्र 2010–11 के लिए अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का कार्य मई, 2009 से पूर्व हो जाने की समय–सूची। 5– अतिरिक्त प्रवेश क्षमता के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का कार्य पूरा हो जाने की समय सूची।
II	किसी चार्टेड लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित गत तीन वर्षों का आय एवं व्यय विवरण तथा गत वर्ष का भरा गया इन्कम टैक्स रिटर्न की छायाप्रतियां
III	सभी विद्यमान पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 / राज्य सरकार तथा बी0टी0ई0 से सम्बद्धता की वर्तमान स्थिति।
IV	अनुमोदन के चालू विस्तार के लिए ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 / राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र की प्रतिलिपि।
V	प्रत्येक पूर्णकालिक शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतनमान को इंगित करते हुए चार्टर्ड लेखाकार द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र।
VI	भूमि के बन्धक न होने सम्बन्धी बारह वर्षीय भारमुक्त प्रमाण–पत्र।

विशेष नोट : यदि आवेदन–पत्र में उपर्युक्त में से किसी एक की भी कमी है तो आवेदन–पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन–पत्र का मूल्य रू0 5000 / – का बैकड्राफ्ट, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के पक्ष में एवं लखनऊ देय हो, को आवेदन के साथ मूलरूप में संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट न प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

आवेदन पत्र संख्याः E- ....

उत्तर प्रदेश राज्य में

एक, दो एवं तीन वर्षीय डिप्लोमा स्तरीय पूर्व स्थापित संस्थाओं में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, प्रवेश क्षमता में परिवर्तन तथा प्रदत्त अनुमोदन को यथावत् बढ़ाये जाने के प्रस्ताव हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र सहित

विवरण–पुस्तिका

(शैक्षिक सत्र 2010–11 हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि : 31.12.2009)

प्राविधिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश

BTEUP.COM
BTEUP.COM

BTEUP.COM

विषय सूची

क्र0	विषय
1–	शैक्षिक सत्र 2010–11 से निजी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तरीय नयी संस्था की स्थापना, पूर्व स्थापित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्था में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, संचालित पाठ्यकमों की प्रवेश क्षमता में बृद्धि/अनुमोदन विस्तार करना आदि से संबन्धित ''विज्ञप्ति''।
2–	आवेदकों हेतु आवश्यक निर्देश
3–	आवेदन–पत्र के लिए चेक लिस्ट/अनुलग्नकों की सूची
4–	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश (छैः)
5–	निर्धारित आवेदन–पत्र (कोड–E)

आवेदकों हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एक, दो एवं तीन वर्षीय डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें खोलने, पूर्व स्थापित संस्थाओं में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, प्रवेश क्षमता में परिवर्तन तथा प्रदत्त अनुमोदन को यथावत् बढ़ाये जाने की नीति एवं प्रक्रिया का निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा निर्धारण किया है।

(1) **तीन वर्षीय (दो वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी को सम्मिलित करते हुए) पाठ्यक्रमों हेतु**
शासनादेश संख्याः 2697/सोलह–प्रा0शि0–3–2003–46(8)/2002, दिनांक 20.12.2003 एवं संशोधित शासनादेश सं0 1194/16–प्रा0शि0–3–2007–46(8)/2002 दिनांक 29.10.07

(2) **एक एवं दो वर्षीय (फार्मेसी पाठ्यक्रम को छोड़कर) पाठ्यक्रमों हेतु**
शासनादेश संख्याः 3063/सोलह–प्रा0शि0–3–2003–46(8)/2002, दिनांक 20.12.2003 एवं संशोधित शासनादेश सं0 1192/16–प्रा0शि0–3–2007–46(8)/2002 दिनांक 29.10.07

पुनः संशोधित शासनादेशः–

(3) शासनादेश संख्याः 1487/16–प्रा0शि0–03–2008–46(8)/2002, दिनांक 31.07.2008

(4) शासनादेश संख्याः 2427/16–प्रा0शि0–03–2009–46(8)/2002, दिनांक 09.11.2009

2. उक्त शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उनमें निहित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में **शैक्षिक सत्रः 2010–11** हेतु निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर द्वारा दिनांक 30.11.2009 को एक अधिसूचना/विज्ञापित जारी की गयी है। सूचना के आधार पर निर्धारित प्रपत्र/आवेदन–पत्र (कोड–E) पर पात्र एवं इच्छुक आवेदकों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। इस संबंध में **निर्धारित आवेदन–पत्र (Non-transferable) सहित विवरण–पुस्तिका का मूल्य रू0 5,000/– (रूपये पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 के पक्ष में एवं लखनऊ में देय हो,** की मूल प्रति एवं आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में भरकर सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर को उपयुक्त आवरण–पत्र (जिसके साथ संलग्नकों की पूर्ण सूची/चेक लिस्ट लगी हो) के साथ प्रस्तुत करना होगा। सैत्रिक सत्र 2010–11 हेतु पूर्णतः भरे हुए आवेदन–पत्र को जमा करने की अन्तिम तिथि 31.12.09 निर्धारित है।

3. आवेदन–पत्र के किसी मद अथवा खण्ड को खाली न छोड़ा जाय, यदि वह लागू न हो, तो उसके सामने **''लागू नही (Not-applicable)''** अंकित करें, अन्यथा आवेदन–पत्र को अपूर्ण माना जायेगा एवं उसे अस्वीकृत किया जा सकता है।

4. उक्त नीति के अन्तर्गत पूर्व स्थापित स्ववित्त पोषित निजी क्षेत्र की संस्थाओं में एक, दो एवं तीन वर्षीय नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, चल रहे पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता परिवर्तन करने तथा प्रदत्त अनुमोदन को यथावत् बढ़ाये जाने हेतु निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के अनुपालन में आवेदन–पत्र भरे जायेंगे।

5. संस्थाओं को भूमि, भवन, उपकरणों, पुस्तकों एवं सटाफ आदि के संबंध में प्राविधानों के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम हेतु ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं मापदण्डों का अनुपालन करना होगा, तभी नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार यथा आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति/सम्बद्धता प्रदान करना सम्भव होगा। संस्था को निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क तथा धरोहर धनराशि के सम्बन्ध में उक्त शासनादेशानुसार कार्यवाही करनी होगी। संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम–1962 (यथासंशोधित–1966, 1974) के अन्तर्गत प्राविधक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता, यदि पूर्व में प्राप्त नहीं है, प्राप्त करनी होगी।

6. प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सम्पादित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही अभ्यर्थियों को डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश दिये जायेंगे एवं संस्थाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ही छात्रों से लेना होगा।

7. दो वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम को एआईसीटीई एवं पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदनोपरान्त प्रारम्भ किया जा सकेगा।

उपरोक्त संबंध में विवरण–पुस्तिका में संबंधित शासनादेशों की प्रतियां उपलब्ध हैं, जिनका अवलोकन कर विस्तृत मार्ग–निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन हेतु आवेदक को सूचित है कि उन्हें निर्धारित आवेदन–पत्र पर ही आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदक संबंधित शासनादेश के अनुसार निर्धारित आवेदन–पत्रों पर अलग–अलग आवेदन करना होगा। उक्त अन्तिम तिथि (दिनांक 31.12.09) के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। जमा किया गया आवेदन–पत्र केवल अवेदित सत्र 2010–11 के लिए ही मान्य होगा। निरस्त होने की दशा में अगली वर्ष पुनः आवेदन–पत्र भरना होगा।

यदि उक्त दोनों शासनादेशों के पाठ्यक्रमों के लिए एक साथ आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो अलग–अलग आवेदन पत्र क्रय करने होंगे एवं उक्त सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, राजकीय पालीटेक्निक परिसर, विकास नगर, कानपुर–208002 (दूरभाष : 0512–2582084) कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर